का॰ज्ञा॰सं॰ 14012/6/87-रा॰भा॰(ग), दिनांक 21 मई 1987

विषय: अधीनस्थ सेवाओं और गैर तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का ऐच्छिक प्रयोग।

इस विभाग के 6 जनवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14012/34/75-रा॰भा॰(ग) में ये निदेश दिए गए थे कि भारत सरकार के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में अथवा पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ली जाने वाली परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति दे दी जाए। इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।

2. दिनांक 6 जनवरी, 1976 के उपरोक्त निर्देशों में केवल केंद्रीय सरकार के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों का जिक्र है। केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि का विशेष तौर पर जिक्र नहीं है, यद्यपि आम तौर पर राजभाषा विभाग के सब निर्देश इन उपक्रमों, बैंकों आदि पर भी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के समान लागू होते हैं। कई उपक्रमों, बैंकों आदि में इस निर्देश का पालन भी हो रहा है।

3. मुझे ये आदेश हुआ है कि ये स्पष्ट कर दिया जाए कि दिनांक 6 जनवरी, 1976 के उपरोक्त निदेश केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों पर भी लागू होते हैं।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह ये स्पष्टीकरण उचित कार्रवाई के लिए अपने सभी नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों आदि के ध्यान में ला दें।